F.N. SUM/............/2025
R.N.SUM/............/2025

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1898

In the court of-Rajeev Patel, JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, NAGOD DIST.SATNA (M.P.)

Case No.- Sum/..724../2026

Complaint or report made on-..................

शासन म.प्र. द्वारा थाना नागौद बनाम अमरेन्द्र सिंह

Name and address of the Complainant--- थाना नागौद जिला सतना म0प्र0

Name, parentage, caste and address of accused
अमरेन्द्र सिंह पि० तकेश प्रताप सिंह उम्र-28 वर्ष नि०. महावीर कॉलोनी नागौद PS नागौद जिला सतना (म०प्र०)
The offence complaint of and date of its alleged commission-
यह कि आपने घटना दिनांक 24/07/26 समय 19:35 बजे स्थान वल्लभधारा प्रतिमा के पास नागौद अंतर्गत, थाना नागौद में अपने आधिपत्य में अवैध 18 पाव देशी प्लेन शराब बिना किसी वैद्य अनुज्ञप्ति के विक्रय के आशय से धारित की। और इस प्रकार से आपने यह अपराध कारित किया, जो म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा–34(1)(क) के उपबंधो के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान क्षेत्र में आता है। अतः मैं आदेश देता हूँ कि आपका उक्त धारा में इस न्यायलय के द्वारा विचारण किया जावे। (राजीव पटेल) जे0एफ0एफ0सी0 नागौद जिला सतना
The plea of the accused and his examination (pif any)
अभियुक्त का अभिवाक– जुर्म स्वीकार है। [signature] (राजीव पटेल) जे0एफ0एफ0सी0 नागौद जिला सतना

–: निर्णय :–

(आज दिनांक 13/08/26 को घोषित किया गया)

01– अभियुक्त अमरेन्द्र सिंह आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है।

02– अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया गया। अभियुक्त के द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1945 की धारा 34 (1)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु दोषी पाये जाने से **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

03– अतः अभियुक्त को म.प्र. आबकारी अधिनियम 1945 की धारा 34 (1)(क) अधीन दण्डनीय अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं राशि 1000/– /–(एक हजार रुपये मात्र) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

04– अर्थदण्ड व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

05– प्रकरण में जप्तशुदा 18 पाव देशी प्लेन शराब .... मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे अथवा अपील होने के दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

{राजीव पटेल}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नागौद, जिला सतना म.प्र.

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

{राजीव पटेल}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नागौद, जिला सतना म.प्र.